रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Central Secretariat Library

सं. 104] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 1993/फाल्गुन 28, 1914
No. 104] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 1993/PHALGUNA 28, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1993

सा.का.नि. 292(अ) :—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 457 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 1960 को अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ, —

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 1993 है।

(2) यह 200 सकल टन से कम के देशी व्यापार पोत से भिन्न पोतों पर (जिसके अन्तर्गत मुख्य भूमि तथा अंडमान और निकोबार द्वीप आदि के बीच चल रहे तट से थोड़ी दूर के जलयान या अलयान हैं) लगे हुए नाविकों को लागू होगा।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में,—

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "च.उ.प्र." से चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र या उन्मोचन का चलत प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं—

(घ) "पोत परिवहन मास्टर" से अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त पत्तन का पोत परिवहन मास्टर अभिप्रेत है।

3. च०उ०प्र० के लिए आवेदन –

(1) कोई व्यक्ति, जो इन नियमों में यथाविनिर्दिष्ट सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, च.उ.प्र. देने के लिए पोत परिवहन मास्टर को आवेदन कर सकेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ आवेदक की फोटो की दो प्रतियां तथा यह घोषणा भी होगी कि आवेदक को इससे पूर्व च.उ.प्र. नहीं दिया गया है ।

4. प्रमाणीकृत अधिकारियों से भिन्न नाविकों के लिए पात्रता शर्तें:—

(1) आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए;

(2) आयु सीमा :—

(1) डैक और इंजिन प्रशिक्षणार्थियों के लिए	18 और 22 वर्ष के बीच
(2) अन्य प्रवर्गों के लिए [भंडारी, भंडारी मैंट, उपयोगिता स्टीवर्ड, उपयोगिता सहायक (डैक और सैलून) तथा तीसरा रसोइया]	18 और 25 वर्ष के बीच, (उचित मामलों में अनुकंपा के आधार पर पोत परिवह महानिदेशक के विवेकानुसार 30 वर्ष तक शिथिलनीय)
(3) पेंटी आफिसर्स के लिए (बढ़ई, प्रधान स्टीवर्ड, बिजली मिस्त्री, फिटर, मशीन मिस्त्री पंपमैन और पोतनीय)	18 और 25 वर्ष के बीच
(4) भूतपूर्व नौसैना रेटिंग के लिए	30 वर्ष तक

(3) शैक्षणिक अर्हताएं :

(1) डैक और इंजिन प्रशिक्षणार्थियों के लिए	दसवीं कक्षा पास
(2) अन्य प्रवर्गों के लिए	आठवीं कक्षा पास
(3) पैटी आफिसरों के लिए (पोतनीस को छोड़कर)	दसवीं कक्षा पास तथा साथ में सरकारी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संबंधित व्यवसाय में दिया गया प्रवीणता प्रमाणपत्र
(4) पोतनीस के लिए	स्नातक और उसके साथ लेखा-कर्म तथा टंकण का ज्ञान

(4) चिकित्सीय योग्यता: आवेदक के पास वाणिज्य पोत परिवहन (चिकित परीक्षा) नियम, 1986 के अधीन विहित प्ररूप में दिया गया इस प्रभाव का प्रमाणपत्र होना चाहिए कि वह पोतों पर नियोजित किए जाने के लिए चिकित्सीय रूप से योग्य है;

(5) नाविक नियोजन बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति द्वारा डैक और इंजिन के प्रवर्गों के लिए रेटिंग के रूप में चुने गए आवेदक के लिए पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा यथा अनुमोदित और सरकार द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण स्थापनाओं द्वारा संचालित सागर-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेना अपेक्षित है ।

या

(6) कोई आवेदक जिसे पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियोजन दिया गया है ।

(7) आवेदक भारत में किसी पोत परिवहन मास्टर द्वारा इससे पूर्व दिया गया कोई च.उ.प्र. धारण नहीं करेगा ।

5. प्रमाणीकृत अधिकारियों के लिए पात्रता :—

कोई भारतीय नागरिक, जिसके पास अधिनियम की धारा 78 के अधीन दिया गया विधिमान्य सक्षमता प्रमाणपत्र या अधिनियम की धारा 86 के अधीन मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र है, च.उ.प्र. दिए जाने की प्रार्थना करने के लिए पात्र होगा, परन्तु यह तब जब कि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी पोत पर लगा हुआ है ।

6. च.उ.प्र. का दिया जाना—

(1) पोत परिवहन मास्टर, च.उ.प्र. में आवेदक की विवरणात्मक विशिष्टियां प्रविष्ट होने और उसके फोटो लग जाने के पश्चात् फोटो पर अपने हस्ताक्षर और शासकीय मुद्रा लगाएगा और नियम 4 में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा करते हुए उसे आवेदक को देगा।

(2) इन नियमों के अधीन दिया गया च.उ.प्र., प्ररूप–1 में होगा और क्रमानुसार संख्यांकित होगा। उस पर इन नियमों के उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट उसे देने वाले पत्तन का नाम और पत्तन के सुभिन्न कोड अक्षर होंगे।

7. च.उ.प्र. का रजिस्टर—

(1) पोत परिवहन मास्टर अपने पत्तन से नाविकों को दिए जाने वाले च.उ.प्र. का एक रजिस्टर प्ररूप–2 में रखेगा जिसमें च.उ.प्र. में अभिलिखित सभी विशिष्टियां होंगी।

(2) पत्तन में दिए गए च.उ.प्र. में सभी पश्चात्वर्ती प्रविष्टियां भी उक्त रजिस्टर में अभिलेखबद्ध की जाएंगी।

8. विधिमान्यता की अवधि—

इन नियमों के अधीन दिया गया च.उ.प्र. 5 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और उसकी समाप्ति पर धारक की प्रार्थना पर एक समय में पांच वर्ष तक की और अवधि के लिए पुनः विधिमान्य किया जा सकेगा, यदि उसका धारक सेवारत नाविक है और उसका च.उ.प्र. इन नियमों के अधीन रद्द नहीं किया गया है, वापस नहीं लिया गया है या निलम्बित नहीं किया गया है।

9. अभित्यजन आदि की रिपोर्ट—

अधिनियम की धारा 192 के प्रयोजनों के लिए, उचित अधिकारी पोत परिवहन मास्टर होगा।

10. च.उ.प्र. का रद्दकरण या निलंबन :—

(1) जहां महानिदेशक द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर उसका समाधान हो जाता है कि किसी नाविक ने अधिनियम की धारा 192 में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में अपने पोत का अभित्यजन कर दिया है या वह उप अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, वहां पोत परिवहन महानिदेशक उस पोत परिवहन मास्टर को, जिसने च.उ.प्र. दिया था, उसे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधारित या निलंबित करने का या रद्द करने का आदेश दे सकेगा।

(2) यदि वैध रूप से लगा हुआ कोई नाविसक अधिनियम की धारा 194 में वर्णित कार्यों में से कोई कार्य करने के अपराध का दोषी है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध, के लिए दोषसिद्ध किया गया है वहां महानिदेशक यह निदेश दे सकेगा कि उस नाविक का च.उ.प्र. रद्द किया जाएगा या ऐसी अवधि के लिए, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, विधारित या निलंबित किया जाएगा।

(3) ज.उ.प्र. के रद्दकरण या निलंबन या उसे विधारित करने के पूर्व, च.उ.प्र. के धारक को पोत परिवहन मास्टर के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। पोत परिवहन मास्टर च.उ.प्र. के धारक को विधारण रद्दकरण/निलंबन के कारण भी यदि उनका फैसला हो गया है, सूचित करेगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो च.उ.प्र. के रद्दकरण, निलंबन या विधारण के लिए पोत परिवहन मास्टर के किसी आदेश द्वारा व्यथित है, अपने द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर पोत परिवहन महानिदेशक को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर पोत परिवहन महानिदेशक का विनिश्चय अन्तिम होगा।

11 निर्बंधित च.उ.प्र. का दिया जाना :

पोत परिवहन कंपनी की विनिर्दिष्ट प्रार्थना पर किसी व्यक्ति को दिया गया च.उ.प्र. उक्त कंपनी के जलयानों पर केवल सेवा के लिए ही विधिमान्य होगा। ऐसा च.उ.प्र. उक्त पोत परिवहन कंपनी द्वारा पोत परिवहन मास्टर को, धारक का कंपनी का कर्मचारी न रहने पर, शीघ्र लौटा दिया जाएगा। पोत परिवहन मास्टर द्वारा ऐसा च.उ.प्र. की प्राप्ति न होने की दशा ङ वह उक्त कर्मचारी के च.उ.प्र. को रद्द करेगा।

12. रद्द किए गए च.उ.प्र. आदि का रजिस्टर—

पोत परिवहन मास्टर ऐसे च.उ.प्र. का एक रजिस्टर रखेगा जो नियम 10 और नियम 11 के अधीन विधारित, रद्द या निलंबित किए गए हैं।

13. कतिपय दशाओं में च.उ.प्र. का न दिया जाना—

(1) इन नियमों के अधीन किसी ऐसे नाविक को, जिसका आवेदन किसी एक पत्तन के पोत परिवहन मास्टर द्वारा नामंजूर कर दिया गया है और वही आवेदक इस तथ्य को छिपाते हुए किसी अन्य पत्तन के पोत परिवहन मास्टर को आवेदन करता है, कोई च.उ.प्र. नहीं दिया जाएगा।

(2) जहां च.उ.प्र. के लिए जाने की प्रार्थना नामंजूर कर दी जाती है वहां संबंधित व्यक्तियों को उसके कारण सूचित किए जाएंगे और आदेश की एक प्रति सभी अन्य पोत परिवहन मास्टरों तथा पोत परिवहन महानिदेशक को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

14. च.उ.प्र. की दूसरी प्रति—

जहां किसी सेवारत नाविक का इन नियमों के अधीन दिया गया च.उ.प्र. गलत स्थान पर रखा गया है, खो गया है, विनष्ट हो गया है, विरूपित या विकृत हो गया है वह संबंधित नाविक संबंधित पोत के पोत परिवहन मास्टर को च.उ.प्र. की दूसरी प्रति, उसमें पूर्ववर्ती यात्राओं की सभी प्रविष्टियों या उसमें अभिलिखित प्रविष्टियों के संक्षेप के साथ देने के लिए आवेदन कर सकेगा।

15. च.उ.प्र. की विवरणियां :—

प्रत्येक पोत परिवहन मास्टर, प्रत्येक तिमाही के प्रारम्भ में, महानिदेशक को पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान उसके पत्तन से नाविकों को दिए गए च.उ.प्र. की संख्या की बाबत एक विवरणी प्ररूप–3 में देगा।

16. उन्मोचन पर प्रवेश

(1) उन्मोचन के समय, नाविक को, यदि वह चाहे तो, उस पोत के मास्टर द्वारा जिस पर वह सेवा कर रहा है, च.उ.प्र. में एक प्रविष्टि दी जाएगी जिसमें अधिनियम की धारा 120 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी।

(2) च.उ.प्र. में की गई प्रविष्टियां उन्मोचन के पत्तन के पोत परिवहन मास्टर द्वारा अनुप्रमाणित की जाएंगी और तत्पश्चात् च.उ.प्र. संबंधित नाविक को लौटा दिया जाएगा।

17. उन्मोचन के प्रमाणपत्र :—

(1) कोई नाविक पत्तन के पोत परिवहन मास्टर को, च.उ.प्र. के स्थान पर किसी नवनिर्दिष्ट समुद्री यात्रा के लिए लागू उन्मोचन का प्रमाणपत्र उसे देने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उन्मोचन का प्रमाणपत्र प्ररूप–4 में होगा।

(3) नियम (9) और नियम (10) के उपबंध इस नियम के अधीन दिए गए उन्मोचन के प्रमाणपत्रों को लागू होंगे।

[फा.सं. सी.-18018/10(10)92–एमटी]

एस. एन. [illegible], संयुक्त सचिव

पत्तन 127

प्ररूप 1

(नियम 6(1) देखिए)

संप्रतीक

चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र

वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र) नियम, 1998 के अधीन जारी

फोटो : शासकीय मुद्रा

नाविक का नाम	
पत्तन का कोड सं. और उन्मोचन पुस्तक रजिस्ट्रीकरण सं.	

टिप्पणी : उपरोक्त फोटो पोत परिवहन कार्यालय की मुद्रा भागतः फोटो पर और भागतः पुस्तक पर लगाकर पोत परिवहन मास्टर के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जानी चाहिए।

नाविकों को सूचना

(1) नाविकों को सूचित किया जाता है कि यह चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र, करार के अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर करते समय, पोत परिवहन मास्टर या कौंसल को प्रस्तुत करके उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए जिस कि नियुक्ति स्तंभ को भरा जा सके और प्रमाणपत्र पोत के मास्टर की पास सुरक्षित अभिरक्षा में दिया जा सके।

(2) यदि नाविक अभित्यजन करता है या पदभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो मास्टर उसकी पुस्तक को, पोत-परिवहन मास्टर या कौंसल के पास या ऐसे पत्तन पर जहां उसने पोत छोड़ा था, जमा करेगा, जो उसे नियुक्ति पत्तन के पोत परिवहन मास्टर को भेजेगा।

(3) यदि यह प्रमाणपत्र विरूपित हो जाता है या फट जाता है या वह पूरा भर जाता है, या गुम हो जाता है तो पोत परिवहन मास्टर आवेदन किये जाने पर इसकी दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए प्रबंध करेगा।

(4) नाविकों को चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रमाणपत्र में की गई प्रविष्टियों को ठीक या परिवर्तित न करें या किसी भी रूप में उनके साथ गड़बड़ न करें और यदि वे ऐसा करते हैं तो वे अभियोजन के दायित्व के अधीन होंगे।

(5) नाविकों को सूचना दी जाती है कि चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र का प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् पुन:विधिमान्यकरण कराया जाना चाहिए और पुन:विधिमान्यकरण के समय फोटो बदला जाना चाहिए।

(6) नाविकों को सूचित किया जाता है कि यदि नाविक उस कंपनी का कर्मचारी नहीं रह जाता है तो पोत परिवहन कंपनी के अनुरोध पर जारी किये गये चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र को पोतपरिवहन मास्टर को आगे भेजने के लिए पोतपरिवहन कंपनी के पास अभ्यर्पित किया जाना चाहिए।

टिप्पण :—यदि यह प्रमाणपत्र किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आ जाता है जिससे इसका संबंध नहीं है तो यह पोतपरिवहन मास्टर या निकटतम वाणिज्यिक समुद्री कार्यालय में दे देना चाहिए या पोतपरिवहन महानिदेशालय, मुम्बई को भेजा जाना चाहिए।

संप्रीतक — *विदेशगामी

भारत सरकार द्वारा जारी — चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र — देशीय व्यापार

नाविक का पूरा नाम	जन्म की तारीख	जन्म का स्थान और राष्ट्रीयता	धर्म	सक्षमता प्रमाणपत्र, यदि कोई हो	
पिता का नाम				श्रेणी	संख्यांक

कद		(1) आंखों (2) बालों का रंग	रूप रंग	गोदने का या अन्य सुभेदक चिन्ह
फुट	इंच			
		(1) (2)		

(1) चिकित्सा रोस्टर सं. और पत्तन ——————

(2) सागर-पूर्व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र सं. और जारी करने का स्थान :——————

(3) नाविक का रोजगार कार्यालय रजिस्ट्रीकरण सं., पत्तन और तारीख ——————

(4) रक्षा नाविक के रूप में दक्षता प्रमाणपत्र ——————

(3) रसोई पकाने का सक्षमता प्रमाणपत्र सं. ——————

——————पत्तन पर जारी किया गया

तारीख——————

नाविक के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान — पोतपरिवहन मास्टर

*जो लागू न हो काट दें।

चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र

सं.	पोत का नाम और शासकीय संख्या, और टन भार*	निम्नलिखित की तारीख और स्थान		रेटिंग	समुद्रयात्रा का विवरण	मास्टर और पोतपरिवहन मास्टर कौंसलर अधिकारी के हस्ताक्षर और शासकीय मुद्रा
		नियुक्ति	उन्मोचन			
1	2	3	4	5	6	7
1					1	(1) (2)
2					2	(1) (2)
3					3	(1) (2)
4					4	(1) (2)
5					5	(1) (2)
6					6	(1) (2)
7					7	(1) (2)
8					8	(1) (2)
9					9	(1) (2)
10					10	(1) (2)

1	2	3	4	5	6	7
11					11	(1)
						(2)
12					12	(1)
						(2)
13					13	(1)
						(2)
14					14	(1)
						(2)
15					15	(1)
						(2)
16					16	(1)
						(2)
17					17	(1)
						(2)
18					18	(1)
						(2)
19					19	(1)
						(2)
20					20	(1)
						(2)
21					21	(1)
						(2)
22					22	(1)
						(2)
23					23	(1)
						(2)

1	2	3	4	5	6	7
24					24	(1)
						(2)
25					25	(1)
						(2)
26					26	(1)
						(2)
27					27	(1)
						(2)
28					28	(1)
						(2)
29					29	(1)
						(2)
30					30	(1)
						(2)
31					31	(1)
						(2)
32					32	(1)
						(2)
33					33	(1)
						(2)
34					34	(1)
						(2)
35					35	(1)
						(2)
36					36	(1)
						(2)

1	2	3	4	5	6	7
37					35	(1) (2)
38					38	(1) (2)
39					39	(1) (2)
40					40	(1) (2)
41					41	(1) (2)
42					42	(1) (2)
43					43	(1) (2)
44					44	(1) (2)
45					45	(1) (2)
46					46	(1) (2)
47					47	(1) (2)
48					48	(1) (2)
49					49	(1) (2)
50					50	(1) (2)

1	2	3	4	5	6	7
51					51	(1)
						(2)
52					52	(1)
						(2)
53					53	(1)
						(2)
54					54	(1)
						(2)

*ये स्तंभ नियुक्ति के समय भरे जाने चाहिएं।
इंजीनियर पुस्तक में अश्वशक्ति भरें। रेडियो अधिकारी पुस्तकों में पोत का सकल टन भार और बेतार; का वर्गीकरण भरें।

नाविक के घर का पता
(नाविक द्वारा भरा जाए)

पते सहित नाविक का निकट संबंधी

नाम और नातेदारी—

पता —

चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र का रजिस्टर

प्ररूप 2

नियम 7 देखिए

संप्रतीक

भारत सरकार द्वारा
जारी किया गया

उन्मोचन पुस्तक का रजिस्ट्रीकृत सं. —

प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख—

(1) चिकित्सा रोस्टर सं. और पत्तन—
(2) सागर पूर्व प्रशिक्षण प्रमाणपत्र सं.
और जारी किए जाने का स्थान—
(3) नाविक का रोजगार कार्यालय,
रजिस्ट्रीकरण सं. पत्तन और तारीख—
(4) रक्षा नाविक के रूप में
दक्षता प्रमाणपत्र—
(5) रसोई पकाने का सक्षमता प्रमाणपत्र सं. —

नाविक का फोटो

(प्ररूप 2 जारी)

नाविक का पूरा नाम——————जन्म की तारीख——————जन्म का स्थान और राष्ट्रीयता——————मूलवंश या धर्म——————

ग्राम——————

थाना——————

डाकघर——————

जिला——————

संक्षमता प्रमाणपत्र आदि कोई हो

——————

श्रेणी संख्यांक

*नाविक के पिता का नाम——————

कद		आंखों का रंग	बालों का रंगरूप	गोदने या अन्य सभेदक चिह्न
फुट	इंच			

नाविक द्वारा प्राप्त किसी प्रोत्साहन या प्रशंसा का अभिलेख।

(इस प्रविष्टि पर पोत परिवहन मास्टर द्वारा तारीख और मोहर सहित हस्ताक्षर किए जाएं)

नाविक के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान

————को जारी किया गया

——————पोत परिवहन मास्टर

धारक के अंगूठे का निशान

बाएं

दाएं

*टिप्पण :—रूकने संबंधी आदेश ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल स्याही में लिखे जाने चाहिएं। रूकने संबंधी आदेश और अन्य आदेश, जैसे ही प्रवर्तन में न रहें, रद्द किए जाने हैं। इस रजिस्टर में की गई सभी प्रविष्टियों, परिवर्धनों और परिवर्तनों पर पोत परिवहन मास्टर द्वारा आद्याक्षर किए जाने चाहिएं, अन्यथा उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होगी। लिपिकों को यह चेतावनी दी जाती है कि यदि वे इस रजिस्टर में गड़बड़ करते हैं तो वे अभियोजित किए जाने के दायी होंगे।

सं.	पोत का नाम और शासकीय संख्यांक और टनभार *	निम्नलिखित की तारीख और स्थान		रेटिंग	समुद्र यात्रा का विवरण	मास्टर का नाम	पोतपरिवहन मास्टर के आद्याक्षर
		नियुक्ति	उन्मोचन				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1	2	3	4	5	6	2
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						

इंजीनियर पुस्तक में अश्वशक्ति भरें रेडियो अधिकारी पुस्तक में पोत का सकल टन भार, और बेतार का पंजीकरण करें।

प्ररूप 3

(नियम 15 देखिए)

———————पत्तन पर———————को समाप्त होने वाले क्वार्टर के दौरान नागरिकों को जारी किया गया चलत उन्मोचन प्रमाण पत्र की बाबत विवरणी।

जारी किया गया बलत उन्मोचन प्रमाण पत्र सं.

डेक	इंजन कक्ष	सैलून	योग
विदेशगामी			
देशीय व्यापार			

तारी किए गए बलत उन्मोचन प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति का संख्यांक————

पोत परिवहन मास्टर

सेवा में

पोतपरिवहन महानिदेशक

मुम्बई

उपाबंध

नियम 6(2) देखिए

बलत उन्मोचन प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजनों के लिए पत्तन का नाम, उन के कोड अक्षर

पत्तन का नाम	कोड अक्षर
1. मुम्बई	बी वाई
2. कलकत्ता	सी एल

प्रूप 4

(नियम 17 देखिए)

उन्मोचन प्रमाणपत्र

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 119)

सं. संप्रतीक

———— से उन्मोचित नाविक

पोत का नाम

भारत सरकार द्वारा विहित

शासकीय संख्यांक

पोत का नाम और शासकीय संख्यांक	रजिस्ट्री पत्तन	टन भार	समुद्र यात्रा या नियोजन का वर्णन

रजिस्ट्री पत्तन

नाविक का नाम	जन्म स्थान	जन्म की तारीख	सक्षमता	नियुक्ति की तारीख	उन्मोचन की तारीख	उन्मोचन का स्थान

नाविक का नाम			
	कद और पहचान चिह्न	गृह पत्तन से यात्रा की तारीख	गृह पत्तन पर पहुंचने की तारीख
जारी किए जाने की तारीख			
पोत परिवहन मास्टर के हस्ताक्षर	मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विशिष्टियां सही है और ऊपर नामित नाविक को तदनुसार उन्मोचित किया गया था।		

तारीख———— 19

नाविक मास्टर

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi the 19th March, 1993

G.S.R. 292 (E).—In exercise of the powers conferred by section 457 of Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and in supersession of the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificates) Rules, 1960, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short Title, Application and Commencement:—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 1993.

(2) They shall apply to seamen engaged on ships, (including offshore vessels or vessels plying between mainland and Andaman and Nicobar Islands etc.) other than Home Trade Ships of less than 200 tons gross.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions—In these rules,—

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)

(b) "C.D.C." means a Continuous Discharge Certificate or Continuous Certificate of Discharge;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) "Shipping Master" means a Shipping Master of a port appointed under sub-section (1) of section 11 of the Act.

3. Application for C.D.C.—(1) Any person who fulfills all the eligibility conditions as specified in these rules, may apply to the Shipping Master for the issue of a C.D.C.

(2) Every such application shall be accompained by two copies of the applicant's photograph and also a declaration that a C.D.C. has not previously been issued to the applicant.

4. Eligibility conditions for seamen other than Certificated Officers.—(1) The applicant should be a citizen of India;

(2) Age Limit.—

(i) For deck and engine trainees	Between 18 and 22 years.
(ii) For other categories [Bhandary, Bhandary Mate, Utility Steward, Utility hand (Deck & Saloon) and Third Cook].	Between 18 and 25 years; (relaxable upto 30 years at the discretion of the Director General of Shipping in deserving cases on compassionate grounds).
(iii) For Petty Officers (Carpenter, Chief Steward, Electrician, Fitter, Machinist, Pump man and Purser)	Between 18 and 25 years.
(iv) For ex-Naval ratings	Upto 30 years.

(3) Educational Qualifications:

(i) For Deck and Engine trainees	X Standard passed.
(ii) For other categories	VIII Standard passed.
(iii) For Petty Officers (excluding Purser)	X Standard passed with proficiency certificate in the respective trade issued by a Government recognised Institute.
(iv) For Purser	A graduate with knowledge of accountancy and typing.

(4) Medical Fitness: The applicant should possess a certificate in the prescribed form issued under Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 1986, to the effect that he is medically fit to be employed on ships;

(5) An applicant selected as a rating by the Selection Committee constituted by the Seamen's Employment Board for the category of Deck and Engine are required to undergo pre-sea training course as approved by the Director General of Shipping and conducted by the Government approved/recognised training establishments.

OR

(6) An applicant who is given employment on a compassionate ground by the Director General of Shipping.

(7) An applicant shall not hold any C.D.C. issued earlier by any Shipping Master in India.

5. Eligibility for Certificated Officers.—An Indian citizen who is in possession of a valid certificate of competency issued under section 78 of the Act or a certificate recognised under section 85 of the Act is eligible to request for issue of a C.D.C., provided he is engaged on a ship in accordance with the provisions of the Act.

6. Issue of C.D.C.—(1) The Shipping Master shall, after the descriptive particulars of the applicant have been entered in and the photograph affixed to the C.D.C., affix his signature and official seal on the photograph and issue the same to the applicant, fulfilling all the conditions laid down in rule 4.

(2) A C.D.C. issued under these rules shall be in Form-1 and shall be serially numbered. It shall also bear the name of the port of issue and the distinguishing code letters of the port as specified in the Annexure to these rules.

7. Register of C.D.Cs.—(1) The Shipping Master shall maintain a register of C.D.Cs issued to seamen from his port, in Form-2, which shall contain all the particulats recorded in the C.D.C.

(2) All subsequent entries in the C.D.Cs issued from the port shall also be recorded in the said Register.

8. Period of Validity.—A C.D.C. granted under these rules shall be valid for a period of five years and may be revalidated on expiry, on a request from the holder, for a further period up to five years at a time if the holder is a serving Seaman and his C.D.C. has not been cancelled, withdrawn or suspended under these rules.

9. Report of desertion etc.—For the purposes of seciton 192 of the Act, the proper officer shall be the Shipping Master.

10. Cancellation or suspension of a C.D.C.—(1) Where on a report received by him the Director General is satisfied that a Seaman has deserted his ship in the circumstances specified in section 192 or that he has been convicted of an offence of the nature referred to in sub section (2) of section 195 of the Act, the Director General of Shipping may direct the Shipping Master, who issued the C.D.C., to withhold or suspend for a specified period or cancel it.

(2) If a Seaman lawfully engaged is guilty of an offence of committing any of the acts mentioned in section 194 of the Act or is convicted of an offence under any other law for the time being in force, the Director General may direct that the Seamen's C.D.C. shall be cancelled or shall be withheld or suspended for such period as may be specified in the direction.

(3) Before cancellation or suspension or to withhold the C.D.C., the C.D.C. holder shall be given an opportunity to represent his case before the Shipping Master. Shipping Master shall also intimate the reasons of withholding cancellation/suspension to the C.D.C. holders if the same is decided upon.

(4) Any person aggrieved by any order of Shipping Master for cancellation, suspension or withholding of the C.D.C., he may, within 60 days of receipt of such order by him, appeal to the Director General of Shipping and the decision of the Director General of Shipping on such appeal shall be final.

11. Issue of Restricted C.D.C.—A C.D.C. issued to a person at the specific request of a Shipping Company, shall be valid for service only on vessels of the said Company. Such C.D.C. shall be returned to the Shipping Maste by the said Shipping Company as soon as the holder ceases to be an employee of the Company. In the event of non-receipt of such C.D.C. by the Shipping Master, he shall cancel the C.D.C. of the said employee.

12. Register of cancelled C.D.Cs etc.—The Shipping Master shall maintain a register of C.D.Cs which have been withheld, cancelled or suspended, under rules 10 and 11.

13. C.D.C. not to be issued in certain cases.—(1) No C.D.C. shall be issued to a seaman under these rules whose application has been rejected by a Shipping Master of one port and the same applicant is applying to the Shipping Master of an other port supressing the fact.

(2) Where the request for the issue of C.D.C. is rejected, the reasons for the same shall be intimated to the persons concerned and a copy of the order should e endorsed to all other Shipping Masters and the Director General of Shipping.

14. Duplicate C.D.C.—Where a C.D.C. of a serving seaman issued under these rules is mislaid, lost, destroyed, defaced or mutilated, the seaman concerned may apply to the Shipping Master of the port concerned to issue a duplicate copy of the C.D.C. with all entries of previous voyages or a summary of these recorded therein.

15. Returns of C.D.C.—Every Shipping Master shall, at the beginning of each quarter furnish to the Director General a return in Form-3 of the number of C.D.Cs issued to seamen from his port during the previous quarter.

16. Entry on Discharge.—(1) At the time of discharge, the seaman's all, if he so desires, be granted by the Master of the ship on which he has been serving an entry in the C.D.C. specifying the particulars referred to in sub-section (2) of section 120 of the Act.

(2) The entries made in the C.D.C. shall be attested by the Shipping Master of the port of discharge, and there after the C.D.C. shall be returned to the seaman concerned.

17. Certificates of Discharge:—(1) A seaman may apply to the Shipping Master of port of the issue to him of a certificate of discharge applicable for any specified voyage instead of a C.D.C.

(2) The certificate of discharge referred to in sub-rule (1) shall be in form-4.

(3) The provisions of rules (9) and (10) shall apply to certificates of discharge issued under this rule.

[File No. B-11015/10/92-MT]
S. N. KAKAR, Jt. Secy.

Port 127

Form 1
[See rule 6(1)]

Emblem

CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE

Issued under Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate) Rules, 1993

Photograph : Official Stamp

Name of the Seaman

Code No. of the Port and
Registered No. of
the Discharge Book

Note:—The above photo should be authenticated by impressing the Shipping Office Stamp and he Signature of the Shipping Master partly on the photo and partly on the book

Notice to Seamen

(1) Seamen are informed that this continuous discharge certificate should be produced and handed to the Shipping Master, or Consul when signing Articles of Agreement, so that the engagement column may be filled in and the certificate given into the safe keeping of the Master of the ship.

(2) Should the seaman desert or fail to join, is book will be deposited by the Master with the Shipping Master or Consul or the port where he left the ship, who will forward it to the Shipping Master of the port of engagement.

(3) Should this certificate become defaced or torn or filled up or should it get lost the Shipping Master will, on application, arrange for the issue of a duplicate.

(4) Seamen are warned not to correct, alter or in any way tamper with the entries on this certificate as they are liable to be prosecuted if they do so.

(5) Seamen are informed that the CDCs should be revalidated after every five years and change the Photograph at the time of revalidation.

(6) Seamen are informed that CDC issued at the request of Shipping Company should be surrendered to the Shipping Company concerned for onward transmission to Shipping Master if the seaman ceases to be an employee of that Company.

Note:—Should this Certificate come into the possession of any person to whom it does not belong, it should be handed to the Shipping Master, or the nearest Mercantile Marine Office, or be transmitted to the Directorate General of Shipping, Bombay.

Emblem
Issued by
THE GOVERNMENT OF INDIA

CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE

*FOREIGN GOING
HOME TRADE

Name of seaman in full Name of father	Date of Birth	Place of Birth and Nationality	Religion	Certificate of Competency Grade	Certificate of Competency Number

Height Feet	Height Inches	Colour of (1) Eyes (2) Hair	Complexion	Tattoo or other Distinguishing Marks
		(1)		
		(2)		

Record of any award or commendation received by the Seaman. The entry should be signed by the Shipping Master, dated and stamped.

(1) Medical Roster No. & Port..........................

(2) Pre-sea Training Certificate No. and place of issue..........................

(3) Seamen's Employment Office Registration No. Port & Date..........................

(4) Certificate of Efficiency as a Lifeboatman..........................

(5) No. of Certificate of Competency in cooking..........................

Issued at the Port of..........................

Dated ....

Signature of Seaman or left hand thumb impression ....

Shipping Master

*Strike out as necessary.

CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE

No.	*Name of ship and official † number, and tonnage †	Date & Place of Engagement*	Date & Place of Discharge	*Rating	Description of Voyage	* Signature of Master and of Shipping Master Consular Officer with official stamp
1	2	3	4		5	6
1.					1.	(1) (2)
2.					2.	(1) (2)
3.					3.	(1) (2)
4.					4.	(1) (2)
5.					5.	(1) (2)
6.					6.	(1) (2)
7.					7.	(1) (2)
8.					8.	(1) (2)
9.					9.	(1) (2)
10.					10.	(1) (2)
11.					11.	(1) (2)
12.					12.	(1) (2)
13.					13.	(1) (2)
14.					14.	(1) (2)
15.					15.	(1) (2)
16.					16.	(1) (2)
17.					17.	(1) (2)
18.					18.	(1) (2)
19.					19.	(1) (2)
20.					20.	(1) (2)
21.					21.	(1) (2)

1	2	3	4	5	6	7
22.				22.	(1) (2)	
23.				23.	(1) (2)	
24.				24.	(1) (2)	
25.				25.	(1) (2)	
26.				26.	(1) (2)	
27.				27.	(1) (2)	
28.				28.	(1) (2)	
29.				29.	(1) (2)	
30.				30.	(1) (2)	
31.				31.	(1) (2)	
32.				32.	(1) (2)	
33.				33.	(1) (2)	
34.				34.	(1) (2)	
35.				35.	(1) (2)	
36.				36.	(1) (2)	
37.				37.	(1) (2)	
38.				38.	(1) (2)	
39.				39.	(1) (2)	
40.				40.	(1) (2)	
41.				41.	(1) (2)	
42.				42.	(1) (2)	
43.				43.	(1) (2)	

1	2	3	4	5	6	7
44.				44.	(1) (2)	
45.				45.	(1) (2)	
46.				46.	(1) (2)	
47.				47.	(1) (2)	
48.				48.	(1) (2)	
49.				49.	(1) (2)	
50.				50.	(1) (2)	
51.				51.	(1) (2)	
52.				52.	(1) (2)	
53.				53.	(1) (2)	
54.				54.	(1) (2)	

*These columns are to be filled in at time of engagement.

† In Engineer's Books insert Horse Power. In Radio Officer's Books insert gross tonnage and wireless classification of Ship.

HOME ADDRESS OF SEAMAN

(To be entered by the Seaman)

NEXT OF KIN OF SEAMAN WITH ADDRESS

Name & Relationship ....

Address..

REGISTER OF CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE

Form 2

See rule 7

REGISTED No.OF DICHARGE BOOK................

DATE OF ISSUE OF CERTIFICATE..............

Emblem
Issued by-

THE GOVERNMENT OF INDIA

(1) Medical Roster No. & Port ————————

(2) Pre-Sea Training Certificate No. and place of issue ....

(3) Seamen's Employment Office Registration No. Porti & Date ....

(4) Certificate of Efficiency as a Life-boatman ....

(5) No. of Certificate of Competency in Cooking ....

SEMAN'S PHOTOGRAPH

SEAMAN'S

(Form 2 continued)

Name of the seaman in full....Date of Birth......Place of Birth & Nationality......Race or Religion........

Village................................

*Name of Seamen's father....Thana ....

P.O. ....

District ....

Certificate of Competency, if any.

Grade Number

Height Colour of Complexion Tatoo or other Distinguishing marks

Feet Inches Eyes Hair

Record of any award or commendation received by the Seaman.
(The entry should be signed by the SHIPPING MASTER, dated and stamped)

Signature of seman or left hand/thums impression

Issued on

SHIPPING MASTER

*Thumb Impression of holder

Left Right

*Note:—Stop orders should be written in red ink to arrest attention. Stop orders and other orders are to be cancelled as soon as they cease to operater. All entries, additions and alterations in this register must be intialled by the SHIPPING MATER, and they will not, otherwise be recognised. Clerks are warned that they are liable to be prosecuted if they tamper with this register.

No.	Name of Ship and Official number and tonnage*	Date and Place of Engagement	Date and Place of Discharge	Rating	Description of voyage	Name of Master	Shipping Master's Initial
1							
2							
3							

1	2	3	4	5	6	7
4	—					
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						

1	2	3	4	5	6	7
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						
41.						
42.						
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						
51.						
52.						
53.						
54.						
55.						
56.						
57.						
58.						
59.						
60.						

*In Engineer's Books insert Horse Power. In Radio Officer's Books insert gross tonnage and wireless classification of ship.

Form 3

(See rule 15)

Return in respect of Continuous discharge certificates issued to seamen during the quarter ending................ at the port of.................................

No. of Continuous Discharge Certificates issued

	Deck	Engine room	Saloon	Total
Foreign-going				
Home Trade				

No. of duplicate Continuous Discharge Certificates issued...

SHIPPING MASTER

To

The Director General of Shipping,
BOMBAY.

ANNEXURE

See rule 6(2)

Name of ports and their code letters for purposes of issue of...

Continuous Discharge Certificate

Name of Port	Code letters
1. BOMBAY	BY
2. CALCUTTA	CL

Form 4

(See rule 17)

No.

CERTIFICATE OF DISCHARGE

EMBLEM

(Section 119 of the Merchant Shipping Act, 1958)

Seamen discharged from

Name of Ship

Prescribed by the Government of India

Official Number

Port of Registry

Name and Official Number of Ship	Port of Registry	Tonnage	Description of Voyage or Employment

Name of Seaman	Place of Birth	Date of Birth	Capacity	Date of Engagement	Date of Discharge	Place of Discharge

Name of Seaman

Height and Identification marks	Date of sailing from Home Port	Date of arrival at Home Port

Date of Issue

I CERTIFY that the above particulars are correct, and that the above-named Seaman was discharged accordingly;

Signature of Shipping Master.

Dated this Day of 19 .

Seaman, Master

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993